रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012022-232939
CG-DL-E-27012022-232939

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 7, 1943
No. 48] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/ MAGHA 7, 1943

India Code

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2022

**सा.का.नि. 48(अ).—**केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 645(अ), तारीख 21 सितंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको प्रारूप नियमों में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 21 सितंबर, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 125ग में,-

(क) उपनियम (1) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि एआईएस-135 के उपबंध एआईएस-052 (आरईवी-1) में यथा विनिर्दिष्ट टाइप-3 बसों को लागू होंगे, जो केन्द्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख से बारह मास के पश्चात् ही विनिर्मित की जाती है ।" ;

(ख) उपनियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु एआईएस-135 के अधिभोगी कक्ष में अग्नि सुरक्षा के उपबंध एआईएस-063 में यथाविनिर्दिष्ट बसों को लागू होंगे, जो केन्द्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख से बारह मास के पश्चात् ही विनिर्मित की जाती है ।" ;

(ग) उपनियम (7) में सारणी 1 में क्रम संख्या 7 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

| क्रम संख्या | भाग/संगठक/समुच्चय प्रदर्शन मानदंड | यान श्रेणी | अपेक्षा/मानक | प्रारंभ की तारीख/वैधता |
|---|---|---|---|---|
| "7क | अधिभोगी कक्ष में अग्नि अलार्म और संरक्षण तंत्र | श्रेणी एम3 की टाइप-3 बस और स्कूल बस | एआईएस-135 | केन्द्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख से बारह मास ।" |

[फा. सं. आरटी-11016/37/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, अधिसूचना संख्या सा.का.निः 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800(अ), तारीख 15 नवंबर, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

IndiaCode

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2022

**G.S.R. 48(E).**—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R. 645(E), dated the 21st September, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Official Gazette containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 21st September, 2021;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

**1. Short Title and commencement.-**(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules 1989, in rule 125C,-

(a) in sub-rule(1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the provisions of AIS-135 shall be applicable to Type III buses, as specified in AIS-052(Rev.1), which are manufactured on and after twelve months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2022.";

(b) in sub-rule(2), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the provisions on fire protection in occupant compartment of AIS-135 shall be applicable to school buses, as specified in AIS-063, which are manufactured on and after twelve months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2022.";

(c) in sub-rule (7), in Table 1, after Sr. No. 7, the following Sr. No. shall be inserted, namely:-

| Sr. No. | Parts/components/ Assemblies/ Performance Parameter | Vehicle Category | Requirement/ Standards | Date of commencement / validity |
|---|---|---|---|---|
| "7A | Fire Alarm and Protection system in occupant compartment | Type III buses of category M3 and school buses | AIS-135 | Twelve months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2022." |

[F. No. RT-11016/37/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

IndiaCode

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 800(E), dated the 15th November, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2022.01.27 22:43:28 +05'30'